

बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
अन संसाधन विभाग

आदेश

दिनांक-13.10.2017 को मिशन निदेशक तथा मिशन प्रबंधक, कार्यजल प्रियावर्धन को द्वारा संयुक्त रूप से कौशल प्रशिक्षण केंद्र, दुमरी, लखा गाँव, सारण KYP Code-08020028 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केंद्र पर उपस्थित केंद्र समन्वयक को द्वारा बताया गया कि अप्रूपर बैच में इस केंद्र पर 40 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ है। बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारियों के निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि बैच में केवल 19 प्रशिक्षणार्थी ही उपस्थित थे तथा कक्षा सत्र में कोई भी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित नहीं थे, जबकि नियमानुसार 40 के बैच में 20 प्रशिक्षणार्थी बैच में तथा 20 प्रशिक्षणार्थी कक्षा सत्र में उपस्थित रहने चाहिए थे। पूछताछ के क्रम में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में केंद्र पर उपस्थित Centre Coordinator तथा Learning facilitator को द्वारा कोई संतोखत्मक उत्तर नहीं दिया जा सका। कक्षा सत्र के निरीक्षण के क्रम में वहाँ अधिष्ठापित बैच, टेस्क, प्रोजेक्टर आदि पर ध्यान देता पाया गया, जो यह प्रमाणित करता था कि इस केंद्र पर कक्षा सत्र सेशन नियमित ढंग से नहीं चल रहा जा रहा है।

निरीक्षण में पाये गये कठिनाई को आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-BSDM/SDM-18/2017-830 दिनांक-17.10.2017 के द्वारा सचिव, शिक्षा संस्था से स्पष्टीकरण की गयी थी। इस स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि स्पष्टीकरण का जवाब निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एजेंसी को कोई ठमस पत्र नहीं दिया जायेगा तथा संस्था को विस्तृत विधितरम्भन अनुसूचक कार्रवाई की जायेगी।

निर्धारित समय सीमा के अंदर एजेंसी शिक्षा को द्वारा इस स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि एजेंसी के द्वारा इस संबंध में कार्य नहीं करना है।

अतः कौशल प्रशिक्षण केंद्र, दुमरी, लखा गाँव, सारण, KYP Code-08020028 के संचालक एजेंसी शिक्षा को कठोर चेतावनी निम्न की जाती है तथा उनको इस केंद्र के अगले Invoice से 40% की रकम की कटौती की जाती है। उन्हें यह भी चेतावनी निम्न की जाती है कि भविष्य में यदि इस केंद्र के संचालन में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो इस केंद्रों पर छात्रों का नामांकन अवरुद्ध कर दिया जायेगा तथा नामांकित छात्रों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात इन्हें बंद कर दिया जायेगा।

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

प्राप्तक-BSDM/SDM-18/2016-

1033

पढका,दिनांक- 11/12/2017

प्रतिनिधि- (1) सचिव, शिक्षा, शिक्षा एकेडमी, रोड नं० 1ई, हाउस नं०-95, न्यू चांदलीपुरा कॉलोनी, पटना को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी, मिशन प्रबंधक, कार्यजल प्रियावर्धन/मिशन प्रबंधक, विल को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, विल को आदेश दिया जाता है कि वे कौशल प्रशिक्षण केंद्र दुमरी, लखा गाँव, सारण, SDC KYP Code-08020028 को अगले Invoice से 40% की रकम कटौती करवा सुनिश्चित करें।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, सारण, श्री लखदीप सिंह, प्रबंधक, MIS & M&D को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।